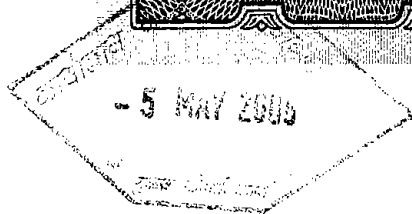


4579



03CC 943385

SR-05

(1)

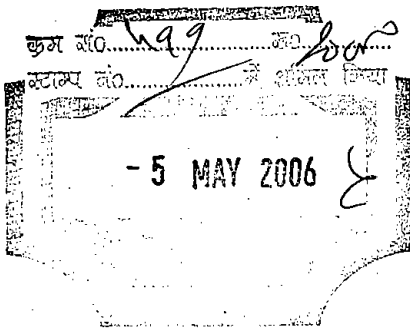
बैनामा अंकन - 24,72,500/- रुपये का
 स्टाम्प अंकन - 2,48,000/- रुपये का
विवरण विक्रय भूमि :- भूमि खाता नं० 158
 खसरा नं० 2870 रकबई 0.2150 हेक्टेयर अर्थात्

Labber

Labber



05/05/06
 नेपाल मिह वीरमान
 न्यायिक सेवा
 १३. वडा नं० १३, वडा नं० १३, वडा नं० १३



सापना रजिस्ट्रार का निवेदन

क्र 2472500
र 5000 1500

श्री प्रदीप प्रकाश शर्मा
व श्री शरद चंद्र शर्मा
वासी एन ० ब्लॉक - १४ आर्या नगर गांव

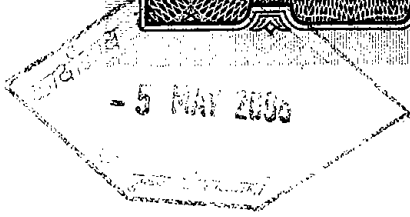
यह क्षेत्र में जमीन का ४ ५ ५ का
जमीन का ५ ५ ५ का



5000

सुकाटे बलक ४० के रुक
1062 रुक लकी म. क. द. के ली

श्री प्रदीप प्रकाश शर्मा २
व श्री
नेवासी



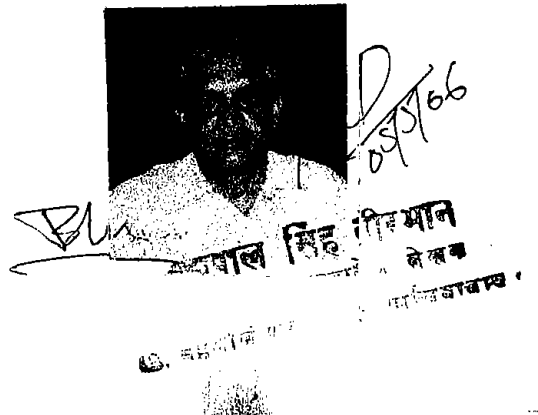
03CC 943384

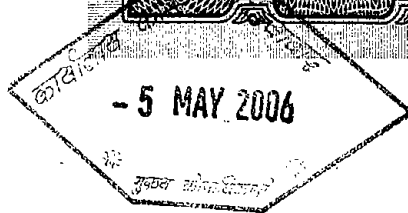
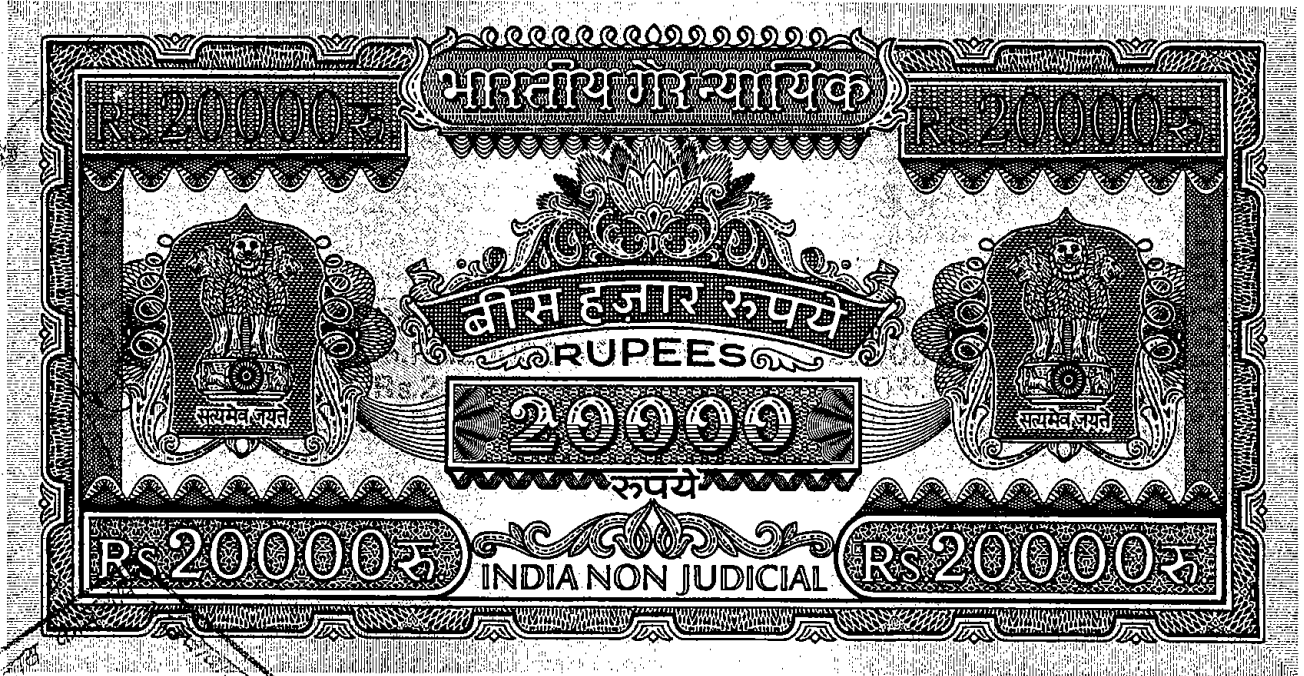
(2)

2150 वर्गमीटर भूमि इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की जा रही है, जो ग्राम शाहपुर बम्हेटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित है। विक्रित भूमि में इस समय कोई फसल नहीं है, विक्रित

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





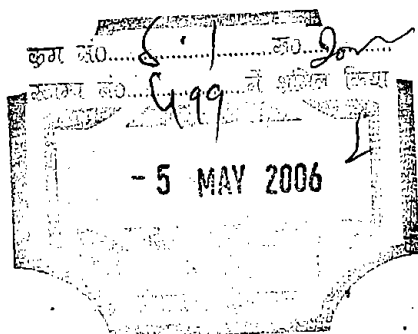
03CC 943383

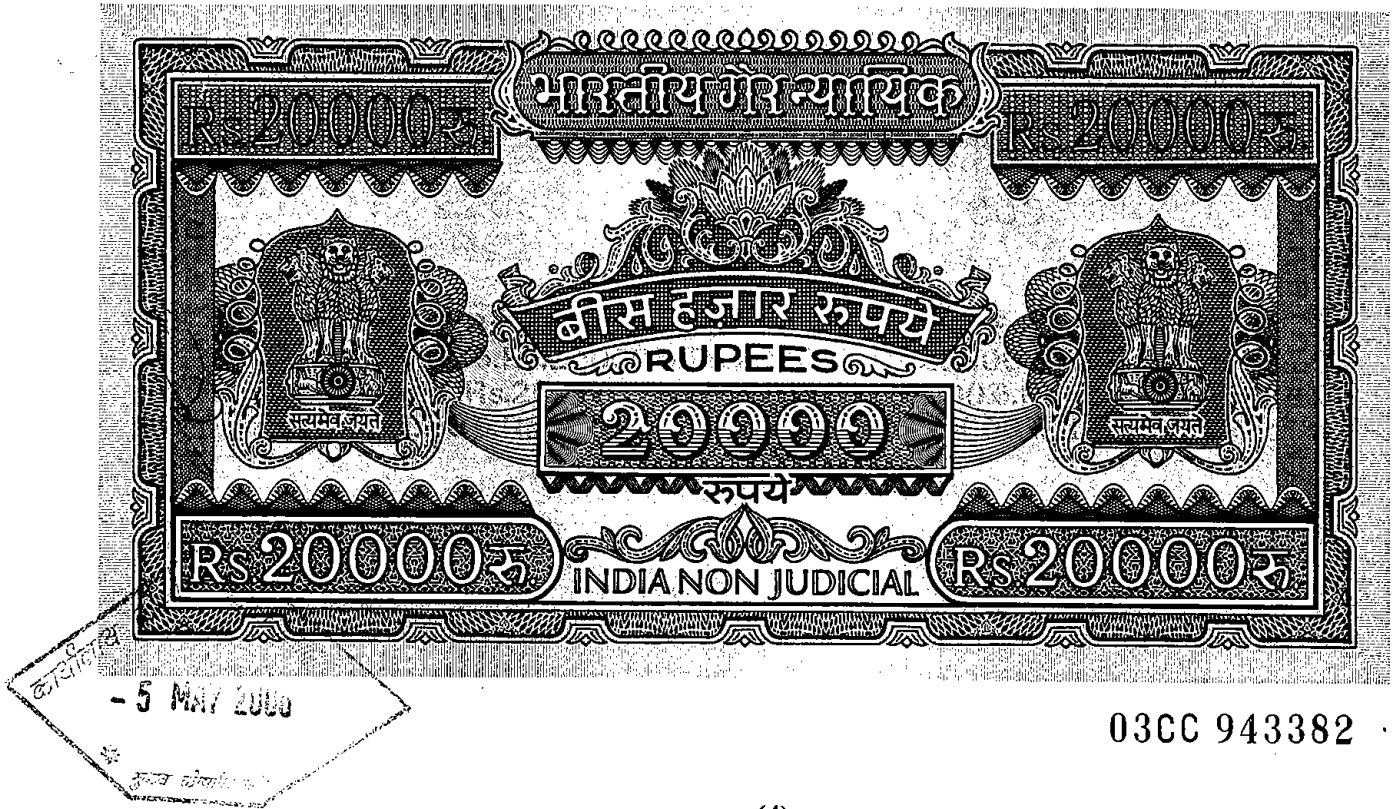
(3)

भूमि में कोई निर्माण किसी प्रकार का नहीं है अर्थात् पूर्णतया खाली है। केता ने विक्रेता के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है एवं अपनी पूर्ण संतुष्टि के पश्चात विक्रेता से भूमि कय कर रहा है। केता ने कय

Babbar

Sharma



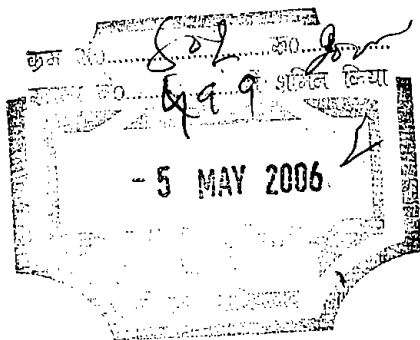


(4)

की जाने वाली भूमि को मौके पर भली प्रकार देख लिया है एवं संतुष्ट है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से नहीं है। विक्रय भूमि ग्राम समाज, अथवा वक्फ की नहीं हैं। जिसका

[Signature]

[Signature]





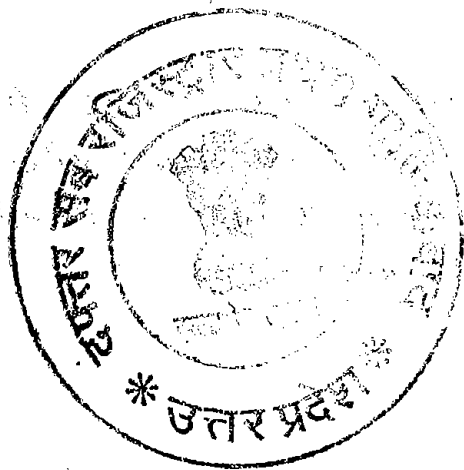
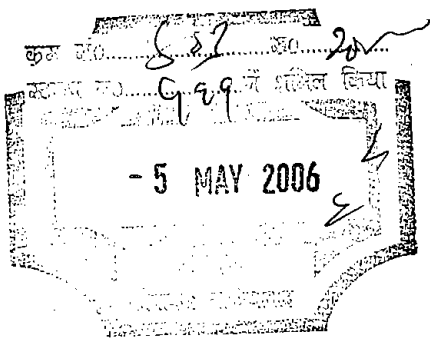
5 MAY 2006

03CC 943381

(5)

मानचित्र विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया गया है।
विक्रित भूमि मुख्य मार्ग से 200 मीटर से अधिक की
दूरी पर स्थित है।

हम कि हैदराबाद बिबरेजस प्रा0 लि0 105, सैकेण्ड
फ्लोर, ई0 ब्लॉक, सूर्या टावर सरदार पटेल रोड
सिकन्दराबाद - 500003 ए0 पी0 द्वारा अधिकृत
प्रतिनिधि श्री सुखदेव बब्बर पुत्र श्री जे0 एस0 बब्बर





03CC 943380

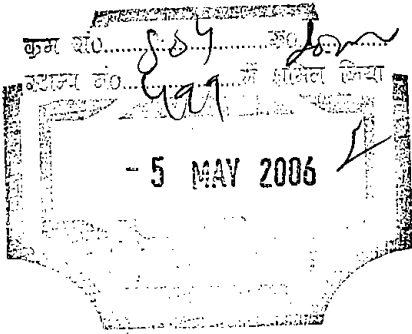
(6)

निवासी - 1862, महालक्ष्मी मार्केट भगीरथ पैलेस
चांदनी चौक दिल्ली - प्रथम पक्ष विक्रेता, जिसे इस
लेखपत्र में आगे चलकर विक्रेता कहा गया है।

एवं सामग रिजलेटर्स प्रा० लि० बी- 67, सरिता
विहार दिल्ली- 76 द्वारा श्री नगदीश प्रसाद शर्मा
पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा निवासी - एस० आई०- 18,
शास्त्रीनगर गानियाबाद तहसील व जिला गानियाबाद

[Signature]

[Signature]





03CC 943379

(7)

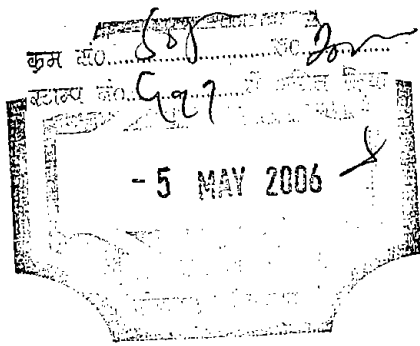
- द्वितीय पक्ष केता, जिसे इस लेखपत्र में आगे चलकर केता कहा गया है।

इस लेख पत्र में विकेतागण व केता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारीगण, वैधानिक एवं न्यायिक प्रतिनिधिगण भी पूर्णतः सम्मिलित समझे जायेंगे।

विदित हो कि भूमि खाता नं० 158 खसरा नं० 2870 रकबई 0.2150 हेक्टेयर अर्थात् 2150 वर्गमीटर भूमि इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की जा

3-bb

Blum





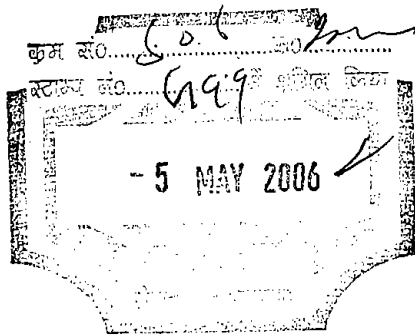
03CC 943378

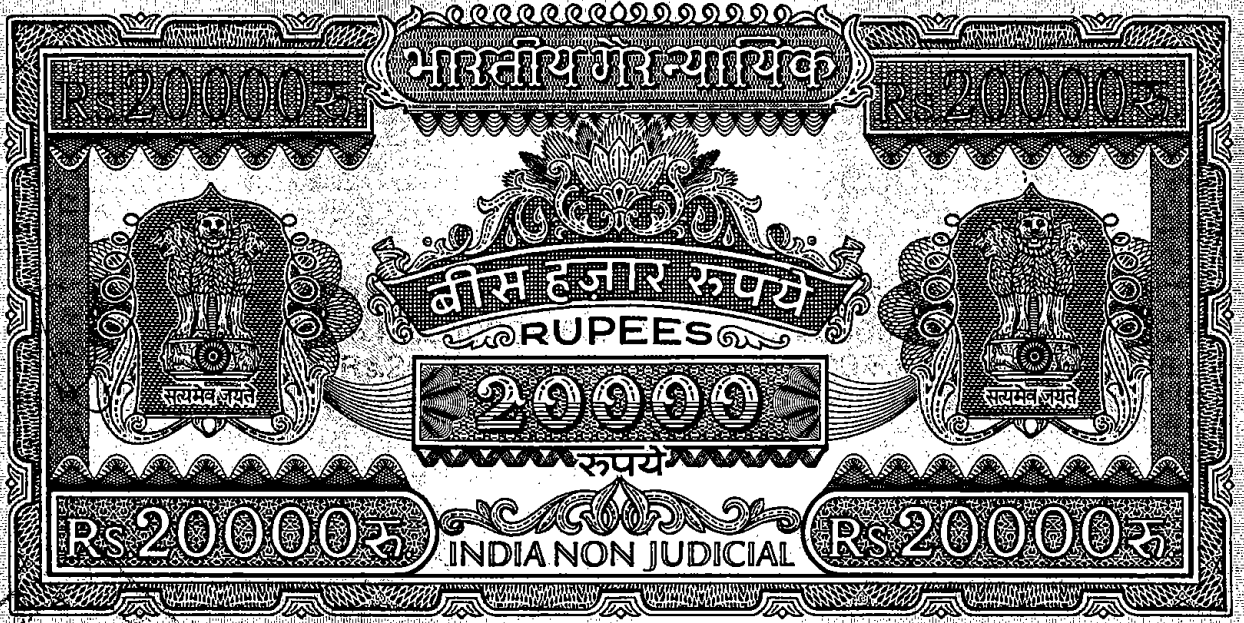
(8)

रही है, जो ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित है, की प्रथम पक्ष विक्रेता फर्म मालिक काबिज द्वारा खरीद बेनामा इकरारी श्री कल्लू पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी- ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद तहसीली दिनांक 10.10.2005 जो कार्यालय उपनिबन्धक गाजियाबाद में बही नं 1 जिल्द नं 6241 के पृष्ठ 303/334 पर नम्बर 6566 पर दिनांक 10.10.2005 को दर्ज है, है। तथा मैं निष्पादक फर्म

[Signature]

[Signature]





कायदा नं.
- 5 MAY 2006
जुद्ध कायदा

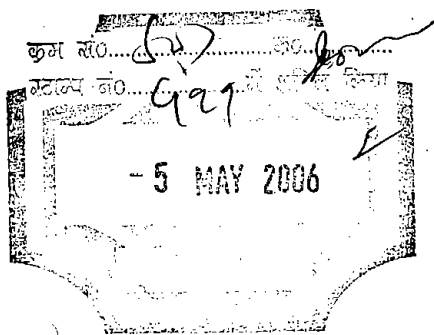
03CC 943377

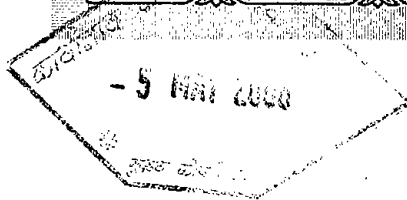
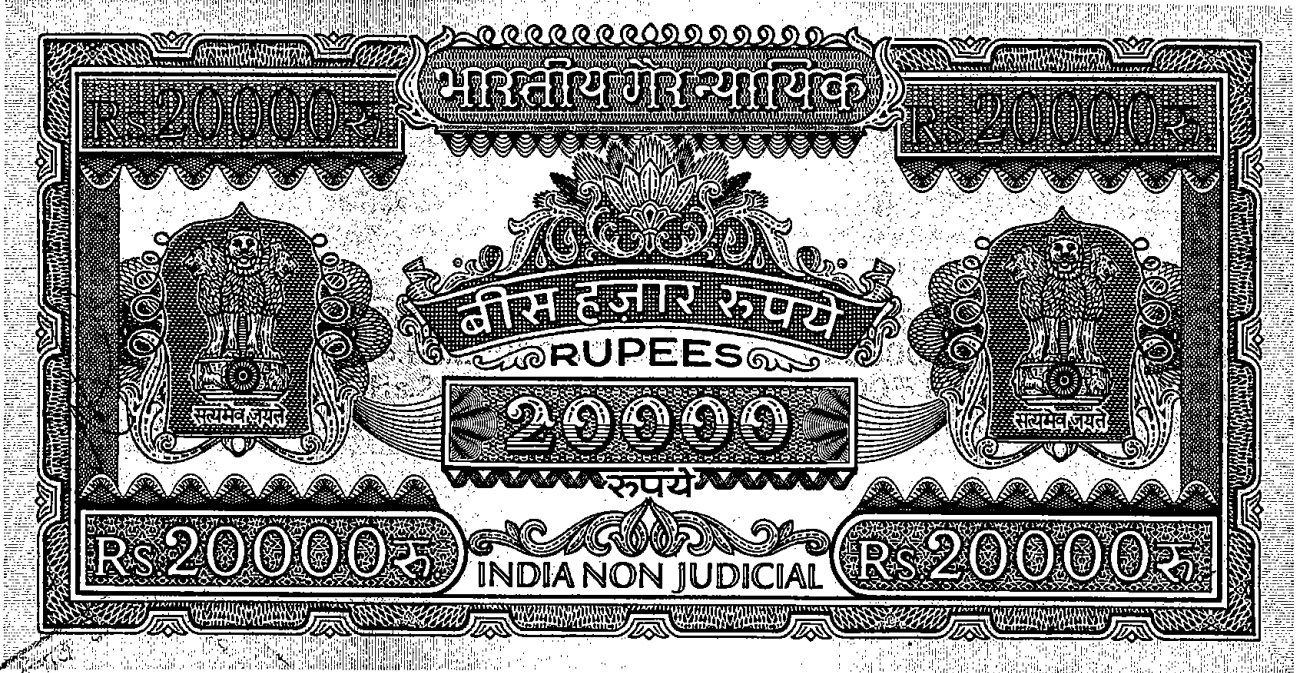
(9)

उपरोक्त की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि होने के कारण फर्म की ओर से भूमि को विक्रय आदि के पूर्ण अधिकारी है उपरोक्त भूमि को विक्रय आदि करने में कोई वैधानिक दोष व त्रुटि नहीं है। उपरोक्त भूमि आज दिन तक हर प्रकार के भार बन्धक से मुक्त है, कहीं अन्य आड़, रहन, बय, हिबे, महायदाबय, जमानत बैंक लोन आदि से ग्रस्त नहीं है। हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। अतः मुझ प्रथम पक्ष निष्पादक ने फर्म की ओर से सालिम भूमि उपरोक्त को अपनी

Babbu

Babu





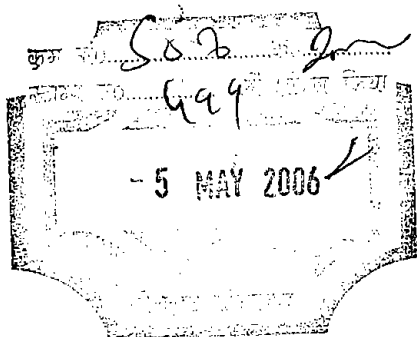
03CC 943376

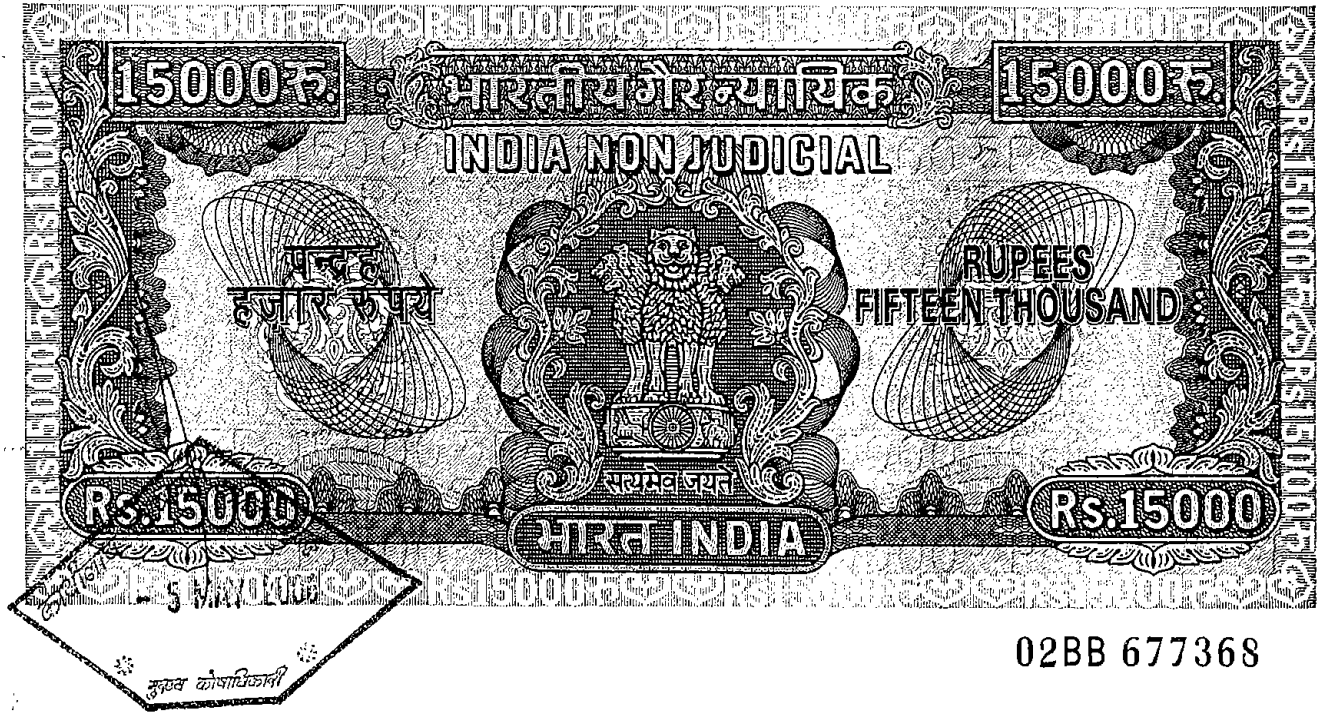
(10)

खुशी रजामन्दी समस्त स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में पूर्णतया सोच-समझकर मय तमामी हकूक मालिकाना दाखली व खारजी हर किसम मय कब्जा आदि आदि सहित आज की तारीख में बदले अंकन - 24,72,500/- रुपये (चौबीस लाख बहात्तर हजार पांच सौ रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन - 12,36,250/- रुपये होते हैं, में हाथ द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी उपरोक्त को विक्रय कर दी और कुल कीमत मुझ प्रथम पक्ष

[Signature]

[Signature]





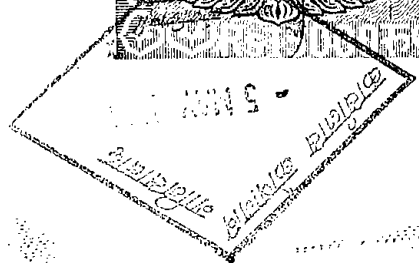
(11)

निष्पादक ने द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी से निम्न विवरणानुसार प्राप्त कर ली है। इस प्रकार बाबत कीमत कुछ बाकी नहीं रहा है। विक्रय भूमि का बैनामा विक्रेता व केता के वर्णनानुसार लिखा गया है, अधिवक्ता/दस्तावेज लेखक का अपना कोई कथन नहीं है। भूमि की निर्धारित आवासीय दर 1,000/- प्रति वर्गमीटर है, स्टाम्प ड्यूटी वास्तविक पर नियमानुसार अदा की जा रही है। विक्रेता व केता ने पढकर, सुनकर व समझकर विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर

[Signature]

[Signature]





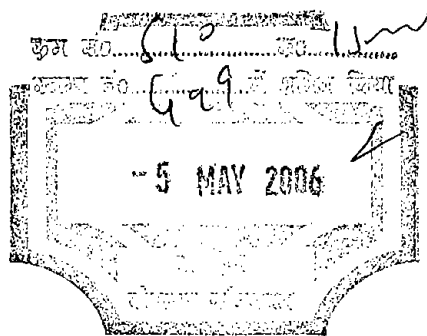
02BB 677367

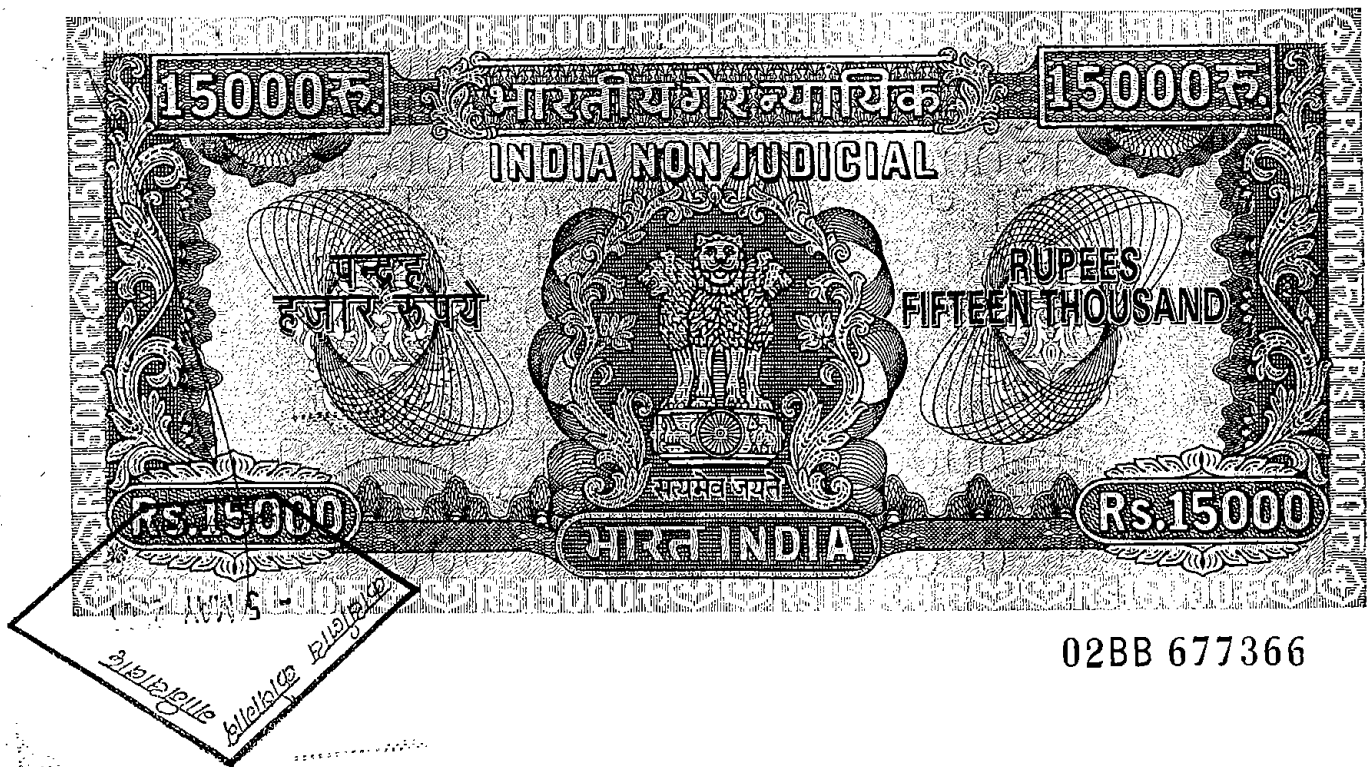
(12)

किये है। अब इकरार यह कि उपरोक्त भूमि को मिलकियत उसके मूल्यधन तथा किसी अंग से मुझ विकेता फर्म अथवा मेरे किसी भी वारिसान अथवा प्रतिनिधि का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है, न आइन्दा होगा। कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से द्वितीय पक्ष फर्म/कम्पनी उपरोक्त का करा दिया है, अब द्वितीय पक्ष फर्म/कम्पनी उपरोक्त भूमि के पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गये है, जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावें,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



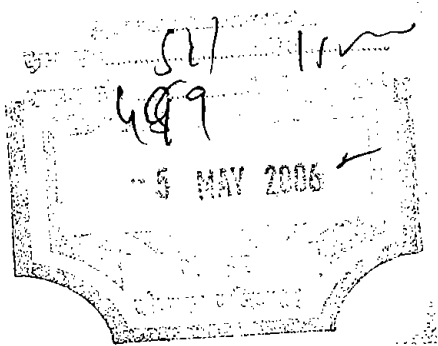


(13)

स्वयं कृषि करे, अथवा किसी प्रकार का निर्माण अथवा कालोनी इत्यादि का निर्माण स्वयं अथवा किसी अन्य से कराये, किसी प्रकार का विक्रय पत्र आदि करे अथवा विक्रय करने का अनुबन्ध पत्र करे, गरज यह कि उक्त भूमि के विषय में जो मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष फर्म को प्राप्त थे, वे समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी को प्राप्त हो गये है। समस्त राजपत्रों में द्वितीय पक्ष अपना नाम इस विक्रय पत्र के आधार पर स्वयं दर्ज करा ले, इस विक्रय पत्र का व्यय द्वितीय पक्ष ने स्वयं वहन किया

[Signature]

[Signature]





(14)

628082

है, पक्षकारान के मध्य कोई इकरारनामा महायदाबय पंजीकृत नहीं हुआ है। अब इकरार यह है कि अगर बावजह बेइस्तहकाकी विक्रेता फर्म के या बदावेदारी किसी सहीम व शरीक के विक्रय की जाने वाली भूमि कुल अथवा उसका कोई भाग कब्जे या अधिकार केता से निकल जावेगा तो हर ऐसी दशा के उपस्थित होने पर फर्म विक्रेता समस्त विक्रय धन की वापसी का मय हर्ज-खर्चें सूद कानूनी के हिसाब से जिम्मेदार रहेंगे। उपरोक्त भूमि के विषय में भू राजस्व प्राधिकारी अथवा अन्य द्वारा इस विक्रय पत्र से

